उत्तर रेलवे

कार्यालय वरि. म. वि. अभि./परि./दिल्ली
Email: srdeersodli@gmail.com

मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय
स्टेट एंट्री रोड, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली

No. 230/Elect/RSO/Safety Drive/2024 **दिनाँक: 11.10.2024**

सभी मुख्य लोको निरीक्षक,
समस्त वरिष्ठ चालक दल नियंत्रक/ लॉबी,
जाखल, जींद, रोहतक, शकूरबस्ती, दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली, आनंद विहार, नया खुर्जा गाजियाबाद, मेरठ शहर, पानीपत, नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, तुगलकाबाद, पलवल, गढ़ी हरसरु

संरक्षा अभियान- RSO SD-37/2024

विषयः SPAD मामलों को रोकने के लिए अतिरिक्त सावधानियां।
संदर्भ: CEE/OP Letter No: 45-RS/9/Train Operation/1031 (Computer no. 12964) dated 09.10.24

DFCCIL में SPAD का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें चालक दल ने दिनाँक 19.09.2024 को न्यू रेवाड़ी जंक्शन (REJN) के होम सिग्नल एवं रूटिंग होम सिग्नल को लगभग 4:50 बजे 'लाल' की स्थिति में पार किया व दोनो सिग्नलों को लाल की स्थिति में पार करके 1800 मीटर बाद गाड़ी को खड़ा किया। इसी प्रकार DFCCIL में दिनाँक 02.06.2024 को 03:13 बजे SIRN स्टेशन पर भी ऐसा ही एक SPAD का मामला सामने आया था, जिसके कारण मालगाड़ी से टक्कर हो गई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, मौजूदा निर्देशों के अलावा नीचे दिए गए कदम पुनः सुनिश्चित किए जाये जिससे कि ऐसे मामले दोबारा न हो।

- उपरोक्त REJN मामले में FSD चालक दल के पास उपलब्ध था, लेकिन चालक दल द्वारा इसे कार्यशील अवस्था में नहीं किया गया था। सभी लोको पायलट के द्वारा ट्रेन संचालन के दौरान FSD का पूरी आवाज में कार्यशील करना अनिवार्य है।
- गाड़ी संचालन के समय ALP/LP के द्वारा सभी सिग्नलों को हाथ उठा कर सिग्नल के तरफ इशारा करते हुए स्टेशन एवं सिग्नल का नाम (ऑटोमैटिक सेक्शन में सिग्नल नंबर एवं नाम) लेकर ऊँची आवाज में निर्देशित आदेशानुसार पुकारे तथा LP/ALP इसका जवाब एक दूसरे को इसी तरह ऊंची आवाज में दे। सभी मुख्य लोको निरीक्षक एंबुश/औचक निरीक्षक के द्वारा चालक दल की निगरानी की जाये और यदि आडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा उपलब्ध है तो उसकी सिग्नल कॉल आउट की निगरानी की जाये।
- मालगाड़ियो के लोको में यदि CVVRS उपलब्ध है तो उसकी CVVRS की निगरानी की जानी चाहिए और उसके अनुसार कार्यवाही की जाये।
- DFCCIL में मालगाड़ियो का संचालन करने वाले चालक दल को रात 22.00 बजे से 06.00 बजे तक काम करने के दौरान BPCS का उपयोग नहीं करने के लिए काउंसिल किया जाये।
- DFCCIL सेक्शन में CLI द्वारा किए जाने वाले फुटप्लेट निरीक्षण कम हैं। अतः फुटप्लेट की गहनता से निगरानी की जाये एवं यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक DFCCIL अनुभाग में रात के समय कम से कम एक CLI फुटप्लेट निरीक्षण पर हो।
- SPAD मामलो में नामित CLIs को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
- CLIs के निरीक्षण रिपोर्ट(Inspection Notes) की जांच अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।

सभी मुख्य लोको निरीक्षक को निर्देश दिए जाते है की वह उपरोक्त दिये गए निर्देशों के अनुसार जरूरी एंबुश/औचक निरीक्षक करे व अपने नामित व गैर नामित स्टाफ को गहनता से काउंसिल करे । अत: तुरंत प्रभाव से एक संरक्षा अभियान 11.10.24 से 31.10.24 तक चलाये और अभियान की पूर्ण रिपोर्ट 04.11.24 को मण्डल कार्यालय या CLI Reports whatsapp ग्रुप में भेजे ।

11/10/24

कृते वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियता/परिचालन/दिल्ली

Copy to: For kind information please.

- PS to DRM-for kind information of DRM please.
- CEE/OP, NDBH.
- ADRM/OP.
- Sr. DSO/DLI.
- DEE/RSO & ADEE/RSO: For Necessary action please
- CLI/Speed/Cell/NDLS & CTC/NDLS Control: For Necessary action please
- राजभाषा अधिकारी : सूचनार्थ

Northern Railway

Head Quarter Office,
Baroda house,
New Delhi

No: 45-RS/9/Train Operation/1031 (Computer no. 12964) Date: 09.10.2024

SrDEE/RSO/OP,
DRM Office,
FZR, UMB, DLI, MB and LKO

Sub: Additional Precautions to prevent SPAD cases

There was a SPAD case in DFCCIL wherein the Crew passed Home Signal and Routing Home signal of New Rewari Junction (REJN) in "Red" position on 19.09.2024 at about 4.50 hours. It is a very serious case as the crew overshot two signals and stopped after travelling 1800 meters after SPAD. A similar SPAD case had earlier also occurred in the DFCCIL at SIRN station on 02.06.2024 at 03.13 hours that lead to collision with a Goods train.

In view of the seriousness of the issue, all divisions should take the under mentioned steps in addition to existing instructions to ensure that such cases do not occur.

1. FSD was available with the crew but was not deployed by the crew. Divisions must ensure that FSDs are deployed by the crew during train operation invariably.
2. Signal call out by the crew should be monitored through surprise checks and audio recordings.
3. CVVRS should be monitored for Goods trains wherever available and action should be taken up accordingly.
4. Crew operating freight trains in DFCCIL should not use/press BPCS during night working from **22.00 to 06.00 hours**.
5. Footplate inspections conducted by CLIs in DFCCIL sections are comparatively less. This aspect should be monitored. It should be ensured that at least one CLI is on footplate inspection in night period in each DFCCIL section.
6. CLI should be held accountable for SPAD cases.
7. Inspection notes of CLIs should be checked by officers looking after the operation (5% by SrDEE, 10% by DEE and 20% by AEE).

This issues with the approval of PCEE/NR.

Digitally Signed by Naveen Kumar Agarwal
Date: 09.10.2024 14:54:12
Reason: Approved

(Naveen Kumar Agarwal)
CEE/Operations/NR

Copy to:

i) PCSO/NR for kind information
ii) DRM - FZR, UMB, DLI , MB & LKO
iii) Dir./OP/DFCCIL